

संचार मंत्रालय
मांग संख्या 13
डाक विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	19654.67	335.18	19989.85	23122.60	406.26	23528.86	23276.08	556.26	23832.34	25058.21	495.00	25553.21	
<i>वसूलियां</i>	-707.70	...	-707.70	-676.28	...	-676.28	-757.41	...	-757.41	-793.18	...	-793.18	
<i>प्राप्तियां</i>	-12939.79	...	-12939.79	-13827.05	...	-13827.05	-12558.52	...	-12558.52	-15210.03	...	-15210.03	
निवल	6007.18	335.18	6342.36	8619.27	406.26	9025.53	9960.15	556.26	10516.41	9055.00	495.00	9550.00	
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. स्थापना संबंधी व्यय													
1.01	वेतन और भत्ते	12211.58	...	12211.58	14531.00	...	14531.00	14378.19	...	14378.19	15384.66	...	15384.66
1.02	पेंशन	5408.20	...	5408.20	6572.86	...	6572.86	6807.00	...	6807.00	7215.42	...	7215.42
1.03	अन्य व्यय	1157.85	4.18	1162.03	1138.72	10.00	1148.72	1129.74	10.00	1139.74	1099.95	10.00	1109.95
1.04	कम डाक प्राप्तियां	-12939.79	...	-12939.79	-13827.05	...	-13827.05	-12558.52	...	-12558.52	-15210.03	...	-15210.03
	<i>निवल</i>	<i>5837.84</i>	<i>4.18</i>	<i>5842.02</i>	<i>8415.53</i>	<i>10.00</i>	<i>8425.53</i>	<i>9756.41</i>	<i>10.00</i>	<i>9766.41</i>	<i>8490.00</i>	<i>10.00</i>	<i>8500.00</i>
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं													
2.	डाक प्रचालन	137.96	299.55	437.51	131.28	235.69	366.97	131.13	232.33	363.46	151.55	291.01	442.56
3.	वित्तीय सेवाएं	7.57	4.33	11.90	10.50	1.20	11.70	10.50	1.20	11.70
4.	भारतीय डाक भुगतान बैंक	25.00	125.00	150.00	25.00	275.00	300.00	375.00	125.00	500.00
5.	मानव संसाधन प्रबंधन	22.86	2.28	25.14	35.12	4.50	39.62	35.27	6.70	41.97	29.45	4.49	33.94
6.	संपदा प्रबंधन	0.95	24.84	25.79	1.84	29.87	31.71	1.84	31.03	32.87	9.00	64.50	73.50
	जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	169.34	331.00	500.34	203.74	396.26	600.00	203.74	546.26	750.00	565.00	485.00	1050.00
	कुल जोड़	6007.18	335.18	6342.36	8619.27	406.26	9025.53	9960.15	556.26	10516.41	9055.00	495.00	9550.00
ख. विकास शीर्ष													
आर्थिक सेवाएं													
1.	डाक सेवाएं	6007.18	...	6007.18	8604.10	...	8604.10	9919.98	...	9919.98	8659.28	...	8659.28
2.	सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	25.00	...	25.00	375.00	...	375.00
3.	डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	335.18	335.18	...	361.43	361.43	...	249.43	249.43	...	335.72	335.72

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	275.00	275.00	...	125.00	125.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	6007.18	335.18	6342.36	8604.10	361.43	8965.53	9944.98	524.43	10469.41	9034.28	460.72	9495.00
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	15.17	...	15.17	15.17	...	15.17	20.72	...	20.72
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	44.83	44.83	...	31.83	31.83	...	34.28	34.28
जोड़-अन्य	15.17	44.83	60.00	15.17	31.83	47.00	20.72	34.28	55.00
कुल जोड़	6007.18	335.18	6342.36	8619.27	406.26	9025.53	9960.15	556.26	10516.41	9055.00	495.00	9550.00

1. **स्थापना संबंधी व्यय:** डाक विभाग अपने स्थापना संबंधी और स्कीमों/परियोजनाओं पर व्यय करता है। स्थापना संबंधी व्यय में मुख्यतः वेतन, पेंशन और अन्य व्यय हैं। अन्य व्यय में विभाग के सभी कार्यचालन व्यय शामिल हैं।

2. **डाक प्रचालन:** डाक प्रचालन हेतु संशोधित प्राकलन 2016-17 तथा बजट प्राकलन 2017-18 में क्रमशः 363.46 करोड़ रु. तथा 442.56 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत मेल प्रचालन (संशोधित प्राकलन 2016-17 में एवं बजट प्राकलन 2017-18 में क्रमशः 40.52 करोड़ रु. तथा 110.83 करोड़ रु.) तथा आईटी समावेशन एवं आधुनिकीकरण (संशोधित प्राकलन 2016-17 में एवं बजट प्राकलन 2017-18 में क्रमशः 186.58 करोड़ रु. तथा 279.60 करोड़ रु.) जैसे प्रमुख कार्यकलाप शामिल हैं।

3. **वित्तीय सेवाएं:** वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत डाकघर बचत बैंक तथा डाक जीवन बीमा प्रचालन एवं संबद्धित जैसे प्रमुख कार्यकलाप शामिल हैं।

4. **भारतीय डाक भुगतान बैंक:** भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है।

5. **मानव संसाधन प्रबंधन:** यह प्रावधान मानव संसाधन प्रबंधन के लिए है, जिसमें प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार शामिल है।

6. **संपदा प्रबंधन:** यह प्रावधान भवनों के निर्माण सहित संपदा प्रबंधन के लिए है।